भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3677

04 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

'सेल' में कार्य करने के दौरान हुई आकस्मिक मौतों का ब्यौरा

3677. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की विभिन्न इकाइयों में कार्य करने के दौरान हुई दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई हैं; और

(ख) दुर्घटनाओं की जाँच के बाद कारखाना निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा विभिन्न जाँच रिपोर्टों का जाँच-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में पिछले पांच वर्षों (वर्ष-वार) के दौरान काम करते हुए हुई दुर्घटनाजन्य मौतों की संख्या (संविदागत श्रमिकों सहित) **अनुलग्नक 1** में दर्शायी गई है।

(ख): दुर्घटनाओं की जांच के बाद संबंधित कारखाना निरीक्षकों/राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आमतौर पर रिपोर्टें संबंधित सेल संयंत्रों / इकाइयों को नहीं दी जाती हैं। हांलाकि, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और सेल रिफ्रेक्ट्री यूनिट के मामले में दुर्घटना में हुई मौतों की जांच रिपोर्ट संबंधित कारखाना निरीक्षक/प्राधिकारी द्वारा संबंधित संयंत्र/इकाई को दी गई है। प्राप्त जांच रिपोर्टों के अनुसार सुझाए गए उपायों और की गई कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक 2** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक 1

वर्ष	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
सेल में कार्य के दौरान दुर्घटनाजन्य मौतों की संख्या (संविदागत श्रमिकों सहित)	16	22	11	8	19

अनुलग्नक 2

संयंत्र/इकाई	जांच रिपोर्ट की तिथि	सुझाए गए उपाय	की गई कार्रवाई
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	30-11-2018 (30.10.2017 को स्व. दिलीप भगत)	कार्यस्थल पर सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किया जाएगा और इसे बनाए रखा जाएगा।	कार्रवाई की गई। उचित और प्रभावी प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किया गया।
		इरेक्शन प्लान/मैनुअल/स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विकसित किया जाना है और इरेक्शन केवल उक्त योजना/एसओपी के अनुसार इरेक्शन और कमीशनिंग में अच्छे ज्ञान वाले व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना है।	कार्रवाई की गई। इरेक्शन प्लान/मैनुअल/स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) विकसित किया गया।
		वस्तु को उठाने से पहले (भार को ध्यान में रखते हुए) लिफ्टिंग लग्स की संख्या और वस्तु के साथ उसकी वेल्डिंग और उनकी ताकत को ठीक से जांचना चाहिए।	कार्रवाई की गई। उठाने से पूर्व वेल्डिंग की स्थिति की जांच की गई।
		पाल-प्रबंध (रिगिंग) के समय किसी भी कर्मचारी को किसी लटकी हुई वस्तु के पास खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	कार्रवाई की गई। लटकते हुए वजन के निकट किसी को आने की अनुमति नहीं है।
		सभी संबंधितों को सामग्री के सुरक्षित रख-रखाव पर प्रशिक्षण दिया जाना।	कार्रवाई की गई। प्रशिक्षण दिया गया।
		पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था किए बिना दिन के अंत में	कार्रवाई की गई। दिन के उजाले में होने वाले

		उठाने / रिगिंग के महत्वपूर्ण काम से बचना चाहिए।	कार्यों के लिए रौशनी की उचित व्यवस्था की गई।
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	26-09-2018 (18-07-2018 को स्व. अनिर्बान सिन्हा बाबू)	कारखाने में किसी भी मशीनरी, संयंत्र या उपकरण का निर्माण, स्थापना, संचालन या रखरखाव इस तरह से नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।	कार्रवाई की गई। खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन पर दोबारा गौर किया गया है। जोखिम नियंत्रण उपायों के साथ नई जोखिम सूची तैयार की गई।
		कारखाने में कोई भी प्रक्रिया या कार्य इस तरह से नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट लगने का खतरा हो।	कार्रवाई की गई। कार्यशाला में मौजूदा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रियाएं सुरक्षित हैं और शारीरिक चोट का खतरा नहीं है।
		अधिभोगी (ऑक्यूपायर) कारखाना में ऐसे संयंत्रों और कार्यप्रणालियों के प्रावधान और रख-रखाव को सुनिश्चित करेगा जो सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए कोई जोखिम नहीं।	कार्रवाई की गई। कार्यक्षेत्र को सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित बनाने हेतु दैनिक निगरानी और समीक्षा, नए एसओपी/एसएमपी, संयुक्त निरीक्षण आदि किए जा रहे हैं।
		अधिभोगी ऐसी सूचना, निर्देश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगा जो कार्यक्षेत्र के सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।	कार्रवाई की गई। प्रशिक्षण दिया गया और पर्यवेक्षण को और मजबूत किया गया।
		अधिभोगी कारखाना में ऐसे कार्य वातावरण का प्रावधान, रख-रखाव या निगरानी सुनिश्चित करेगा जो श्रमिकों के	कार्रवाई की गई। रख-रखाव और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया गया।

		लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो।	
		उक्त कूलिंग चेंबर में प्रवेश और कार्य करने के लिए कार्य हेतु अनुमति के माध्यम से विनियमित किया जाना चाहिए था।	कार्रवाई की गई। कूलिंग चेंबर के अंदर काम करने के लिए कार्य हेतु अनुमति के माध्यम से विनियमित किया गया है।
		डमी बार स्लिपेज को अस्वीकार्य जोखिम के रूप में माना जाना चाहिए। अगर यह देखा जाता है तो प्रचालन को जारी रखने से पहले तुरंत उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी विभागों/प्रभागों में खतरनाक मशीनरी का जोखिम अध्ययन करना चाहिए।	डमी बार स्लिपेज को अब अस्वीकार्य जोखिम के रूप में माना जाता है। कार्य कर रहे कार्मिकों के साथ एचआईआरए किया गया है। सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए नए एसओपी/एसएमपी को विकसित किए गए हैं।
		स्लिपेज/खराब होने की संभावनाओं को रोकने के लिए बीआरसी मशीन के डमी बार्स, रोलर्स और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की जाँच की आवृति और पिंच रोल स्क्रू को कसने की आवृति को बढ़ाना।	कार्रवाई की गई। जांच को बढ़ाया गया। बीआरसी में मौजूद सभी 4 डमी बार्स को नए से बदल दिए गए हैं।
		नियंत्रण कक्ष में संकेत का प्रावधान करें ताकि डमी बार्स प्रचालन शुरू होने से पहले कूलिंग चेंबर के प्रवेश द्वार को बंद रखें।	कार्रवाई की गई। कूलिंग चेंबर के दोनों दरवाजे के साथ इंटरलॉकिंग का नया प्रावधान। दरवाजा खोलने पर नियंत्रण कक्ष में लाइट और साउंड अलार्म होता है।
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	14-12-2018 (25-09-2018 को स्व. अमीन खान)	कारखाना में कोई भी प्रक्रिया या कार्य इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।	कार्रवाई की गई। कार्य प्रक्रिया को मजबूत किया गया।
		अधिभोगी ऐसी सूचना, निर्देश,	कार्रवाई की गई।

		प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगा जो कार्यक्षेत्र के सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।	आवश्यक प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण किया गया।
		अधिभोगी कारखाना में ऐसे कार्य वातावरण का प्रावधान, रख-रखाव या निगरानी सुनिश्चित करेगा जो श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो।	कार्रवाई की गई। निगरानी तंत्र स्थापित की गई।
		किसी भी खतरनाक/महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन से पहले कार्य सुरक्षा विश्लेषण किया जाना है। किसी भी प्रकार के विघटन कार्य से पहले कार्य में निहित खतरों तथा कार्य-निष्पादन के दौरान और उससे पूर्व निहित किए जाने वाले उपायों को शामिल करते हुए एक विस्तृत योजना तैयार की जाती है।	कार्रवाई की गई। कार्य सुरक्षा विश्लेषण को पूरा किया जा चुका है और विघटन योजना के अनुसार कार्य किया गया।
		कार्य के निष्पादन से पहले मानक "कार्य करने की अनुमति" जारी करने के लिए उचित व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए।	कार्रवाई की गई। सभी कार्यों को कार्य करने की अनुमति (पीटीडब्ल्यू) प्रणाली के माध्यम से किया गया।
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	12-04-2021 (24-01-2021 को स्व. एस के समीउद्दीन)	भविष्य मे इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए, आवधिक परीक्षण के साथ सस्पेंशन रोप (झूला रस्सी) के उचित प्रयोग को अपनाना	कार्रवाई की गई। इसका प्रयोग किया जा रहा है।
		कार्य पर सभी श्रमिक की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को	कार्रवाई की गई। पर्यवेक्षण प्रणाली को सुदृढ़

		सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा और जारी रखा जाएगा	किया गया है।
		जब श्रमिक को ऊचांई पर कार्य करना पड़ता है जहां पर नीचे गिरने की संभावना है, उक्त कार्यरत श्रमिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए घेराबंदी (फैंसिंग) और अन्य प्रकार से प्रावधान किए जाएंगे।	कार्रवाई की गई। हेंड टैलिंग/फैंसिंग (घेराबंदी) प्रदान की गई थी।
सेल रिफ्रैक्टरी इकाई (एसआरयू)-रांची रोड	23-08-2021 (23-07-2021 को स्व. भरत)	कारखाना में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों की सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 (संशोधित 1987) और झारखंड कारखाना अधिनियम 1950 के प्रावधानों का पालन किया जाना है।	श्रमिकों की सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 (संशोधित 1987) और झारखंड कारखाना नियम, 1950 के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।
		निरीक्षण के दौरान, अनुमोदित अद्यतन ले-आउट को प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिए यह निदेश दिया जाता है कि नक्शे को तैयार किया जाए और दो सप्ताह के अंदर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए।	कारखाना ले आऊट का आवेदन प्रस्तुत और अनुमोदित कर दिया गया।

****